(ग) निदेशक मण्डल से संबंधित मामले

54 (1) केन्द्रीय लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त पूर्णकालिक कर्मचारियों/अधिकारियों की अधिवर्षिता की तारीख

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर 2 जून, 1986 के इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5(17)/86 बी.पी.ई. का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह उल्लिखित था कि केन्द्रीय लोक उद्यमों में पूर्णकालिक बोर्ड स्तर पर नियुक्त पूर्णकालिक कर्मचारियों/अधिकारियों जिनकी कार्य अवधि उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक थी, अधिवर्षिता की वास्तविक तारीख को सेवानिवृत्त होंगे और उस माह की अंतिम तारीख को नहीं जिसमें वे अधिवर्षिता को प्राप्त होंगे। सरकार ने मामले पर पुनर्विचार किया और अब यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त पूर्णकालिक कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकी अधिवर्षिता के माह के अंतिम दिन सेवानिवृत्ति किया जाएगा। यह निर्णय इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख से लागू होगा।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन लोक उद्यमों के संबंध में अनुपालन के लिए इस निर्णय का ध्यान रखें।

(लोक उद्यम ब्यूरो का 11 अप्रैल, 1991 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(6)89 जी एम)